तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) तहसीलदार बनाम बद्री व्गो हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज अ.धा.प्र.पं. प्रचलित रास्ता कुल न. 7/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पर बहस व मूल प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 एल0आर0 एक्ट पर बहस सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश दरख्वास्त 151 सीपीसी व मूल प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 एल0आर0 एक्ट हेतु पत्रावली दिनांक 27.10.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
27.10.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। प्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित एंव वकील अप्राथीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण की पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र बाबत विधिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी छाजूलाल दत्तक पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी नांगल (नाथूसर) तहसील श्रीमाधोपुर की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा को रिकार्ड पर नहीं लिया जाता है। प्रकरण में अन्तिम बहस उपरान्त इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 09.06.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखकर ... शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। 27/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी:— दिलीप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या —: 07/2023
सीसीएमएस0 न0 —: 2023/49
दायर दिनांक —: 10.02.2023
निर्णय दिनांक —: 27.10.2023

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

— — प्रार्थी

बनाम्

1. बद्री पुत्र गोपीराम
2. साधू पुत्र गोपीराम
3. ग्यारसा पुत्र गोपीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नाथूसर (नांगल) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर वगै0।

— — अप्रार्थीगण

उपस्थित :—
सरकारी पेरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थी की ओर से।
श्री दीपक बाजिया, अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता

—: निर्णय :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के द्वारा अपील संख्या 90/2020 पारित निर्णय दिनांक 06.07.2021 के द्वारा अपील

27/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला—नीमकाथाना

अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन इस अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 09.06.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने हेतु पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर पेश होने पर पुनः न्यायालय में मुकदमा नम्बर 07/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलकर्ताओं पक्षकारान को सुनवाई हेतु अदालती नोटिस जारी किए गए।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाते हुए ग्राम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 1.04 हैक्टर, 675 रकबा 1.11 हैक्टर, 676 रकबा 1.71 हैक्टर, 779 रकबा 1.64 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2398 रकबा 2.67 हैक्टर में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एंव जिला कलक्टर सीकर के पंत्राक 2619–44/[illegible]/2016 दिनांक 16.08.2016 एंव 4328–53/राजस्व/2016 दिनांक 02.011.2016 [illegible] निर्देशों की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के द्वारा आ[illegible]मन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जिस पर राज्य सरकार एंव श्रीमान जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिये निर्देशों की पालना मे एवं राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 एवं राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 09.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहाँ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के आदेश को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के द्वारा निरस्त किया जाकर इस न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के द्वारा निर्देशित किये जाने पर अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा जरिये अदालती नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री दीपक बाजिया एड0 उपस्थित आयें एंव जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहे गये। जिस पर वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु कुल 18 अवसर दिये गये। कुल 18 अवसरों के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब देही को बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

22/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादग्रस्त आराजी भूमियों में अवस्थित प्रचलित रास्ते की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट के सम्बन्ध में इस न्यायालय के जरिये पत्रांक 1228 / रीडर / 2023 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 405 / भू.अ. / 23 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा फर्द मौका जॉच रिपोर्ट पेश हुए। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि उक्त भूमि खसरा नम्बरान् 674, 675, 676, 779, 2398 में से खसरा नम्बर 374 / 2 रकबा 0.04 हैक्टर, 675 / 1 रकबा 0.04 हैक्टर, 676 / 1 रकबा 0.06 हैक्टर, 676 / 3 रकबा 0.02 हैक्टर, 779 / 2 रकबा 0.03 हैक्टर, 2398 / 1 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया गया था। वर्तमान में खसरा नम्बर 674 / 2, 675 / 1, 676 / 1, 676 / 3 में सड़क बनी हुई होकर मौके पर रास्ता चालू होने तथा खसरा नम्बर 2398 / 1 में भी मौके पर रास्ता चालू होनें तथा खसरा नम्बर 779 / 2 में मौके पर दक्षिणी – पश्चिमी कोने में पत्थर ईंट, छड़ी, तारबन्दी इत्यादि कर रखी होने व उक्त रास्ते में नीम, कीकर आदि के पेड़ होना बताया है। उक्त गैर मुमकीन रास्ते के खसरा नम्बरान् में से खसरा नम्बर 674 / 2 रकबा 0.04 हैक्टर की खातेदारी भगवाना पुत्र छोटू जाति रैगर, खसरा नम्बर 675 / 1 रकबा 0.04 हैक्टर की खातेदारी सुखदेव पुत्र लादू जाति रैगर, खसरा नम्बर 676 / 1 रकबा 0.06 हैक्टर, 676 / 3 रकबा 0.02 हैक्टर की खातेदारी नरसीराम, बंशीधर पुत्र भोलाराम जाति जाट, खसरा नम्बर 779 / 2 रकबा 0.03 हैक्टर की खातेदारी ग्यारसा, [illegible], सु[illegible], साधू, हरि पुत्रगण गोपीराम जाति जाट, खसरा नम्बर 2398 / 1 रकबा 0.05 हैक्टर की खातेदारी हणमान पुत्र भगताराम जाति अहीर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना अवगत कराया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

22/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

की रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रचलित रास्ता काफी समय पूर्व से चालू होकर सार्वजनिक हित में उपयोग में आना प्रमाणित होता है। उक्त प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में गै0 मु0 रास्ता दर्ज होना एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते की तरमीम का अंकन होना भी प्रकट होता है।

प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को बहस में लिया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत विधिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् की खातेदारी छाजूलाल दत्तक पुत्र चन्द्राराम के नहीं होने तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ प्रस्तुत अपील संख्या 90/20 में भी पक्षकार नहीं होने से छाजूलाल के द्वारा पत्रावली में प्रार्थी के रूप में पक्षकार बनने हेतु बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये व बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी के रूप में स्थापित किया जाना विधि विरूद्ध होने से प्रार्थी पक्षकार से हटाये जाने का निवेदन किया। जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई जाने पर वकील प्रार्थी ने जवाब विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिसकी नकल वकील अप्रार्थी को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण बहुपक्षीय सुनी गई। जिस पर वकील अप्रार्थीगण व सरकारी पैरोकार की बहस व सम्पूर्ण रिकार्ड दस्तावेजात व नक्शा ट्रेस का अवलोकन [illegible] खसरा नम्बर 674/2, 675/1, 676/1, 676/3 में वर्तमान में सड़क बनी हुई होकर मौके पर रास्ता चालू होना तथा खसरा नम्बर 2398/1 में भी मौके पर रास्ता चालू होना प्रकट होता है। भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

खसरा नम्बर 779/2 में मौके पर दक्षिणी – पश्चिमी कोने में पत्थर ईंट, छडी, तारबन्दी इत्यादि कर रखी होने एंव उक्त रास्ते में नीम, कीकर आदि के पेड़ होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से स्पष्टतः प्रकट होता है।

जहाँ तक मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट के तहत भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने हेतु इस न्यायालय को भिजवाये जाने पर इस न्यायालय द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 46/राजस्व/2017 दिनांक 09.06.2017 को आदेश जारी किये जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 674, 675, 676, 779, 2398 में मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने तथा उक्त रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली भूमियों की खातेदारी खातेदार के हक हिस्से में ही रखने बाबत आदेश जारी किये गये थे। जिसकी पालना भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में पालना भी की जा चुकी है। इससे यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमियों के रकबे को खातेदारों की खातेदारी में दर्ज भूमियों में से कम नहीं किया गया है। केवल मात्र वर्षो से चले आ रहे प्रचलित रास्ते को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते के रूप में गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आदेश जारी किये गये थे। अतः ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विधिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी श्री छाजूलाल दत्तक पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी [illegible] श्रीमाधोपुर की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा को रिकार्ड पर नही लिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

20/10/17
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–सीकर

इसके उपरान्त वकील अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 की अक्षरशः पालना किये जाने का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने पेश किया। जिसकी नकल एक दूसरे को दिलाई जाकर प्रार्थना पत्र व जवाब शामिल पत्रावली किये गये। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण की बहस उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश निरस्त किया जाकर इस न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में उक्त माननीय न्यायालय में अपील/आपत्ति पेश करने वाले अपीलकर्त्ताओं को सुनवाई हेतु अदालती नोटिस जारी किये गये थे। उक्त अपीलकर्त्ताओं के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या खातेदार को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये गये प्रचलित रास्ते से यदि किसी भी पक्षकार व जन साधारण को कोई आपत्ति होती तो वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु प्रकरण में उक्त अपीलकर्त्ताओं के अलावा अन्य कोई भी खातेदार ... आप को प्रभावित पक्षकार मानने वाले कोई भी व्यक्ति न्यायालय के सामने ... है। ...क उसी प्रकार से यदि कोई प्रभावित पक्षकार होता तो उक्त प्रकरण में उपस्थित होकर आवश्यक पक्षकार प्रार्थी/अप्रार्थी बन सकता था एंव ना ही माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–सीकर(राज.)

जयपुर के यहाँ दायर अपील में किसी भी व्यक्ति के द्वारा पक्षकार बनने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाना प्रकट होता है। केवल इन्ही अप्रार्थीगण व्यक्तियों बद्री, माधू, ग्यारसा पुत्रगण गोपीराम जाति जाट निवासीगण नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। अतः ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थीगण श्री दीपक बाजिया एड0 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हो जाने से सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पत्रावली का अन्तिम निस्तारण किये जाने हेतु बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में बहस हेतु सहमति जाहिर किये जाने पर अन्तिम बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पुनः फर्द मौका जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 09.06.2017 को निरस्त किया जाकर इस न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में उक्त माननीय न्यायालय में अपील / आपत्ति पेश करने वाले अपीलकर्त्ता[illegible]वाई हेतु अदालती नोटिस जारी किये गये थे। यहाँ इस न्यायालय द्वारा पारित नि[illegible] 09.06.2017 के द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 0.04 हैक्टर, 675 [illegible]बा 0.04 हैक्टर, 676 रकबा 0.06

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

हैक्टर, 779 रकबा 0.03 हैक्टर व 2398 रकबा 0.05 हैक्टर तन् ग्राम नांगल में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रक्बे को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिनका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पुनः मौका स्थिति हेतु मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2023 को चाही जाने हेतु आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जरिये पत्रांक 1228/रीडर दिनांक 08.05.2023 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 405/भू0अ0/23 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा वस्तुस्थिति की मौका जॉच रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में वर्तमान खसरा नम्बर 674/2, 675/1, 676/1, 676/3 में सडक बनी हुई होकर मौके पर रास्ता चालू होने एंव खसरा नम्बर 2398/1 में भी मौके पर रास्ता चालू होने तथा केवल मात्र खसरा नम्बर 779/2 में मौके पर दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर पत्थर, ईंट, छडी, तारबंदी इत्यादि कर रखी है व उक्त रास्ते में कींकर, नीम आदि के पेड हैं। इस प्रकार खसरा नम्बर 779/2 के अलावा संपूर्ण रास्ता मौके पर चालू होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से स्पष्टतः दर्शित होना प्रकट होता हैं। इसके विपरित अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण की पत्रावली में अपनी ओर से ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे कि न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 09.06.2017 को पारित निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता या त्रुटि हो, किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक होता हो। उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

दिनांक 09.06.2017 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं व पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 की प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए पुष्टि किया जाना ही न्यायोचित प्रतित होता हैं। मुकदमा संख्या 367/2012 किस्म दावा उनवानी प्रकरण चन्द्रा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत वगैरह में राजस्व लोक अदालत के तहत न्याय आपके द्वार अभियान– 2017 के तहत ग्राम पंचायत नांगल में आयोजित शिविर दिनांक 01.06.2017 को अभियान के दौरान कृषि भूमि खसरा नम्बर 777 व 779 तन् ग्राम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर में कदीमी रास्ता दर्ज कराने बाबत प्रस्ताव भिजवाने बाबत अपनी सहमति प्रदान करते हुए पक्षकारान द्वारा **दर्ज "हमारे द्वारा चाहा गया रास्ता मिल चुका हैं व मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते हैं"** पर अपनी सहमति मय हस्ताक्षर पक्षकारान श्री छाजूलाल जाट, हरिराम, सुरजाराम के द्वारा आदेशिका पर दर्ज करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये थे। उक्त रास्ता वर्तमान समय में भी केवल खसरा नम्बर 779/ 2 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने को छोडकर सार्वजनिक हित में उपयोग में आना प्रकट होता हैं।

अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पूर्व में भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 09.[illegible] से कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रचलित रास्ते सम्बन्धी प्रस्ताव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 पर इस न्यायालय द्वारा जरिये पत्र कमांक 46/राजस्व/2017 दिनांक 09.06.2017 के द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 0.04 हैक्टर, 675 रकबा 0.04 हैक्टर, 676 रकबा 0.06 हैक्टर, 779 रकबा 0.03 हैक्टर व 2398 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 27/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

यह निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर ... खुले न्यायालय में सुनाया मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:25 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 27/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना